

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

F5 (470)/DoIT/Tech/11/ML-633

Jaipur, Dated: 16.08.14

Mr. Sanjay Bhattacharya,
Project Manager,
M/s Wipro Ltd.

विषय: श्री हिमांशु वाधवा Consultant, द्वारा राजकीय आदेश की अवहेलना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-17(2)/डी.ई.एस./भामाशाह योजना/2014 दिनांक 13.08.2014 एवं एफ2 (1406)/सूप्रौ/संस्था/13/22219 दिनांक 14.08.2014 के द्वारा भामाशाह योजना के सफल क्रियान्वयन एवं नामांकन शिविरों के सफल संचालन हेतु श्री हिमांशु वाधवा, कन्सलटेंट की ड्यूटी लगाई गई थी परन्तु श्री हिमांशु वाधवा, कन्सलटेंट द्वारा जिला मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं दी गई, जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है। श्री हिमांशु वाधवा द्वारा उपस्थिति नहीं देने के कारण दिनांक 16.08.2014 को जिले में आयोजित शिविरों के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हुई जिससे राजकीय कार्य बाधित हुआ है।

अतः श्री हिमांशु वाधवा, कन्सलटेंट को कार्य में लापरवाही बरतने एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना के कारण दिनांक 16.08.2014 से विभाग में विप्रो लिमिटेड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से कार्यमुक्त किया जाता है।

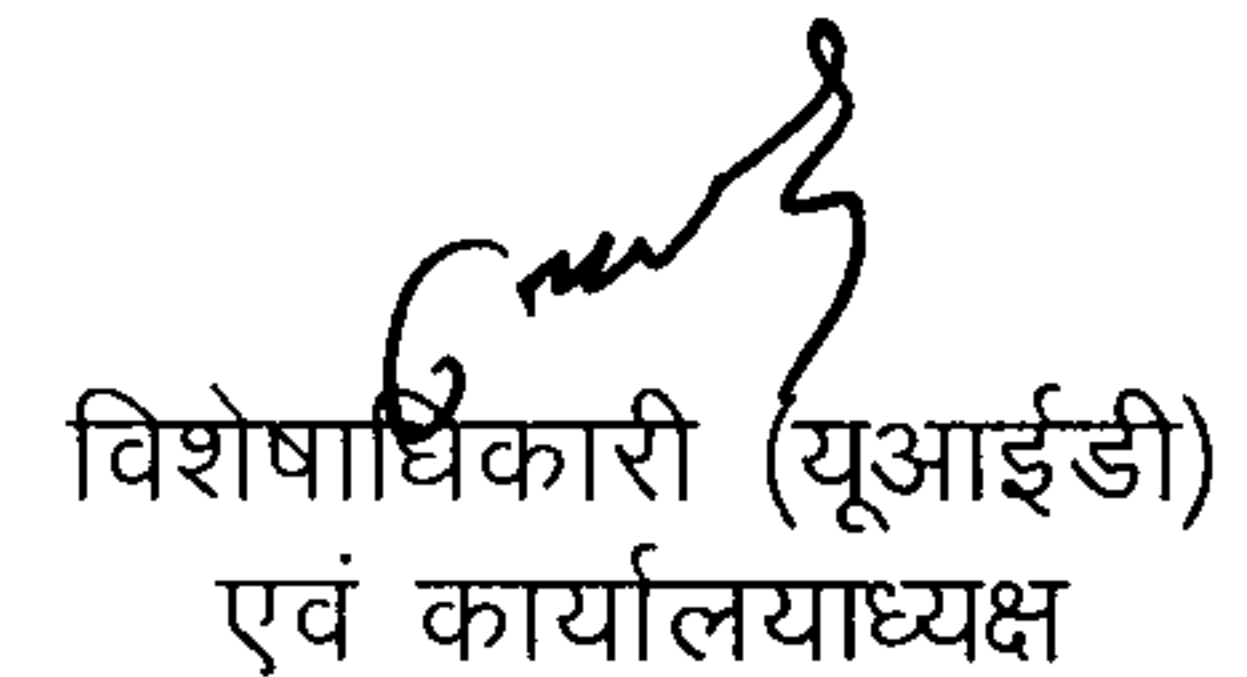
श्री हिमांशु वाधवा, के अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी पृथक से आरोपित की जा रही है।



जय सिंह

आर.ए.एस.
विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपी:- श्री हिमांशु वाधवा, कन्सलटेंट को सूचनार्थ प्रेषित है।



विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

F5 (671)/DoIT/Tech/13/ML-634

Jaipur, Dated: 16.08.14

Mr. Deepak Landge,
Senior Manager,
M/s UTIITSL,
Jaipur

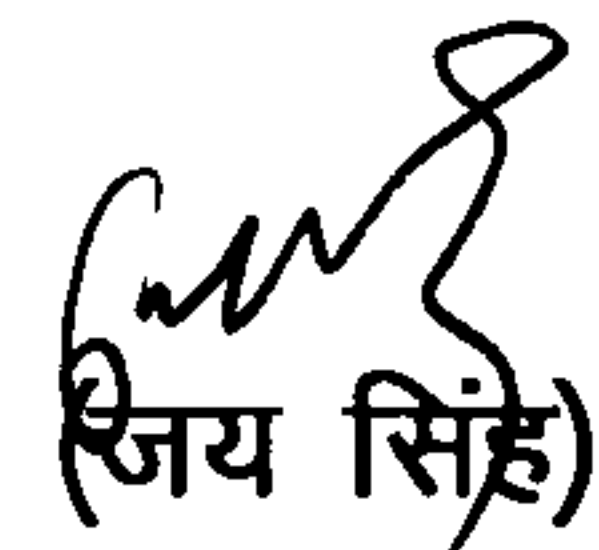
विषय: श्री राज पाराशर Consultant, द्वारा राजकीय आदेश की अवहेलना के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-17(2)/
डी.ई.एस./भामाशाह योजना/2014 दिनांक 13.08.2014 एवं एफ2 (1406)/सूप्रौ/संस्था/
13/22219 दिनांक 14.08.2014 के द्वारा भामाशाह योजना के सफल क्रियान्वयन एवं
नामांकन शिविरों के सफल संचालन हेतु श्री राज पाराशर, कन्सलटेंट की ड्यूटी लगाई गई
थी परन्तु श्री राज पाराशर, कन्सलटेंट द्वारा जिला मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं दी गई,
जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है। श्री पाराशर द्वारा उपस्थिति नही देने के
कारण दिनांक 16.08.2014 को जिले में आयोजित शिविरों के सुचारु संचालन में बाधा
उत्पन्न हुई जिससे राजकीय कार्य बाधित हुआ है।

अतः श्री राज पाराशर, कन्सलटेंट को कार्य में लापरवाही बरतने एवं राजकीय
आदेशों की अवहेलना के कारण दिनांक 16.08.2014 से विभाग में UTIITSL की प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट टीम से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री राज पाराशर, के अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी पृथक से आरोपित की जा रही
है।


(जय सिंह)

आर.ए.एस

विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपी:- श्री राज पाराशर, कन्सलटेंट को सूचनार्थ प्रेषित है।


(जय सिंह)

विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं कार्यालयाध्यक्ष